प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0 प्र0,
कम्प्यूटर सेल, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संख्याः 427 /1–18–2017/क0सेल/10/2004टीसी–2, दिनांक 12-12-2017

विषयः प्रयोक्ता प्रभार के संग्रहण एवं व्यय के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक परिषदादेश सं0–233/1–18–2017/क0सेल/10/2004टीसी–2, दिनांक 08–08–2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा कम्प्यूटरीकृत खतौनी उद्धरण वितरण से तहसीलों में प्राप्त हो रहे प्रभार के संग्रहण एवं व्यय के संबंध में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. उपर्युक्त के संबंध में परिषदादेश संख्या–233/1–18/2017/क0सेल/10/2004 टी0सी0–2, दिनांक 08–08–2017 में निहित प्राविधानों के विपरीत प्रदेश की तहसीलों में मैन पावर को मानदेय का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में परिषद में प्राप्त पत्रों में उल्लिखित बिन्दुओं पर मार्गदर्शन देने के अनुरोध किया गया है। उल्लेखनीय है कि उक्त परिषदादेश के बिन्दु संख्या–3.4.4 में यह व्यवस्था दी गयी है कि–

	श्रेणी–1	श्रेणी–2	श्रेणी–3	श्रेणी–4
आवश्यकतानुसार तहसील कम्प्यूटर केन्द्र के लिये डाटा फीडिंग हेतु तकनीकी मैन पावर (कार्य के अनुसार अनुबंध के आधार पर) की व्यवस्था,	अधिकतम् रू035,000/– प्रति माह	अधिकतम् रू0 35,000/– प्रति माह	अधिकतम् रू0 17,500/– प्रति माह	अधिकतम् रू0 17,500/– प्रति माह

उक्त परिषदादेश में तहसीलों की श्रेणियां निम्नवत् रखी गयी हैं–

- **श्रेणी–1 प्रतिदिन औसतन 300 से अधिक उद्धरण निर्गत करने वाली तहसीलें।**
- **श्रेणी–2 प्रतिदिन 200 से 300 उद्धरण निर्गत करने वाली तहसीलें।**
- **श्रेणी–3 प्रतिदिन 100 से 200 उद्धरण निर्गत करने वाली तहसीलें।**
- **श्रेणी–4 प्रतिदिन औसतन 100 से कम उद्धरण जारी करने वाली तहसीलें।**

3. तद्नुसार मैनपावर हेतु उक्तवत् धनराशि रखे जाने का आधार यह है कि राजस्व परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश लघु उद्योग से कम्प्यूटर आपरेटर की सेवायें कार्य अनुबंध के आधार पर लिया जा रहा है। इस अनुबंध के अनुसार प्रति आपरेटर रू0 17,816/– रूपये समस्त करों सहित भुगतान किया जा रहा है। संख्या–233/1–18/2017/क0सेल/10/2004 टी0सी0–2, दिनांक 08–08–2017 में श्रेणी–3 व 4 की तहसीलों हेतु समस्त करों सहित रूपये 17,500/–(राउन्डेड) प्रति माह की व्यवस्था की गयी है जबकि श्रेणी–1 व 2 की तहसीलों हेतु समस्त रूपये 35,000/–(राउन्डेड) प्रतिमाह की व्यवस्था निर्धारित की गयी है।

इस तरह श्रेणी–1 व 2 की तहसीलों हेतु अधिकतम् 02 मैनपावर व श्रेणी–3 व 4 की तहसीलों हेतु अधिकतम् 01 मैनपावर रखा जा सकता है तथा इसके लिये शैक्षिक योग्यता का उल्लेख परिषदादेश में नही किया गया है। इस संबंध जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय प्रयोक्ता प्रभार समिति के विवेक पर रखा गया है।

अतः अनुरोध है कि कृपया तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

12/12/17

(लीना जौहरी)
आयुक्त एवं सचिव।